



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझकर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 08 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 03ए/2014 धारा-147,323,325,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.छिहू पुत्र बाबूलाल 2.छोटे उर्फ बरदानी पुत्र बाबूलाल 3.देवकरन पुत्र कारेलाल 4.भूरा पुत्र कारेलाल 5.बनवारी पुत्र चन्दन 6.सुरेश पुत्र रघुनाथ 7.उमाकान्त पुत्र रघुनाथ व 8.कालका पुत्र चन्दूलाल निवासीगण कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी अवध नरेश
सिंह चन्देल



विवेचक-
उ0नि0 अमर सिंह



पैरोकार- थाना जलालपुर
हे0का0 मनोज कुमार